# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 67/2016 तारीख रजू 25.7.2016 तारीख निर्णय 27/05/2026

हफीज पुत्र बशीर, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. उमर पुत्र वली मौहम्मद, मुसलमान निवासी राजीव कालोनी गंगापुर सिटी
2. रफीक पुत्र बशीर, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

### निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1251/134 रकवा 20 ऐयर, 135 रकवा 2 ऐयर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है, जो वादी की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। इस भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस भूमि के पास ही वादी की अन्य खातेदारी की भूमि भी है, जिसे वादी ही काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि के पास ही प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1250/133 रकवा 17 ऐयर खसरा नम्बर 134 रकवा 5 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 22 ऐयर स्थित है। प्रतिवादीगण भू–माफिया किस्म के व्यक्ति हैं, जो कृषि भूमियों में बिना किसी अधिकार के प्लाटिंग कर विक्रय कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करते हैं। प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 129 रकवा 13 ऐयर जो अजीज की खातेदारी में है, खसरा नम्बर 1249/129 रकवा 1 ऐयर, 131 रकवा 11 ऐयर, 132 रकवा 20 ऐयर, 133 रकवा 3 ऐयर, 1250/133 रकवा 17 ऐयर, 134 रकवा 5 ऐयर, 130 रकवा 14 ऐयर कुल किता 8 कुल रकवा 84 ऐयर में जगदम्बा बिहार के नाम से आवासीय कोलोनी विकसित कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में रास्तों के लिए लाल मोरम डाल कर 68 भूखण्ड बनाए हैं, जिसका नक्शा भी प्रतिवादीगण ने बना लिया है। प्रतिवादीगण ने कोलोनी का नक्शा जो बनाया है, वह उत्तर से दक्षिण 438 फिट व पूर्व से पश्चिम जानिव उत्तर 256 फिट जानिव पश्चिम 235 फिट कुल नाप 4 बीघा 2 विस्वा भूमि का बनाया है. जबकि प्रतिवादीगण की उक्त भूमि 84 ऐयर यानि 3 बीघा 9 विस्वा होती है, के मुकावले 13 विस्वा ज्यादा भूमि में प्लाटिंग कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 की भूमि का उत्तरी हिस्सा रकवा 5 ऐयर जो उत्तर से दक्षिण 38 फिट व पूर्व से पश्चिम 235 फिट है, को शामिल करते हुए प्लाटिंग का नक्शा बनाया है। प्रतिवादीगण ने 102930 वर्गफिट का नक्शा बनाया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने 5 ऐयर भूमि वादी की व अन्यों

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

की भूमि को शामिल करते हुए नक्शा बनाया है। वादी दिनांक 02.04.2016 को अपने परिवार सहित अपनी ससुराल खानवा फतेहपुर सीकरी गया हुआ था, तब पीछे से प्रतिवादीगण ने अपने नक्शे के अनुसार वादी की 5 ऐयर भूमि नाप 38 वाई 235 फिट की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 की जो कि खसरा नम्बर 134 के लगवां है, पर सीमेन्ट के पिल्लर गाढ दिये। वादी दिनांक 06.04.2016 को ससुराल से वापिस आया और मौके पर सीमेन्ट के पिल्लर गढे देखे, तब प्रतिवादीगण से पिल्लर हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया और वादी से कहा कि हम तो इस भूमि में प्लाट काटेंगे तथा तुम्हारी बाकी बची भूमि पर भी कब्जा करेंगे। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 पर कब्जा करने का व पिलर गाढने का कोई अधिकार नहीं है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 रकवा 20 ऐयर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी में 5 ऐयर भूमि जो खसरा नम्बर 134 के लगवाँ है, जो 38 वाई 235 फिट नाप की है, में प्रतिवादीगण ने पिलर गाढे हैं, को आदेशात्मक निषेधाज्ञा के जरिए हटवाए जाकर भूमि वैकेट करवायी जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 रकवा 20 ऐयर, ख0नं0 135 रकवा 2 ऐयर ग्राम मिर्जापुर के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन विक्रय नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत किया। जबाब दावा में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि प्रतिवादी ने किसी भी व्यक्ति की कोई भूमि को अपनी भूमि में शामिल नहीं किया है। प्रतिवादी अपनी स्वंय की भूमि पर ही काबिज है। प्रतिवादी द्वारा हाल ख0नं0 1251/134 पर ना तो कोई कब्जा किया है और ना ही उस पर पिल्लर गाढे हैं। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई—

1. आया भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 20 एयर, ख0नं0 135 रकबा 2 एयर ग्राम मिर्जापुर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं इस भूमि के पास ही प्रतिवादी सं० 1 की भूमि ख0नं0 1250/133 रकबा 17 एयर एवं ख0नं0 134 रकबा 5 एयर स्थित है। —वादी
2. आया भूमि ख0नं0 129 रकबा 13 एयर, ख0नं0 1249/129 रकबा 1 एयर, ख0नं0 131 रकबा 11 एयर, ख0नं0 132 रकबा 20 एयर, ख०नं० 133 रकबा 3 एयर, ख0नं0 1250/133 रकबा 17 एयर, ख0नं0 134 रकबा 5 एयर, ख0नं0 130 रकबा 14 एयर कुल रकबा 84 एयर को मिलाकर प्रतिवादीगण ने जगदम्बा बिहार के नाम से आवासीय कोलोनी बनाई है जो उत्तर से दक्षिण 438 फीट, पूर्व से पश्चिम जानिब उत्तर 256 फीट जानिब पश्चिम 235 फीट

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (रा. )

है जिसका रकबा 4 बीघा 2 विस्वा होता जबकि प्रतिवादीगण की भूमि 3 बीघा 9 विस्वा ही होती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी की भूमि ख0नं0 1251/134 के उत्तरी 5 एयर हिस्से को शामिल कर प्लाटिंग कर रहे हैं तथा वादी व अन्य लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ——वादी

3. आया दि० 2.4.16 को जब वादी अपनी ससुराल गया हुआ था तो पीछे से प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि ख0नं0 1251/134 में 38 वाई 235 फीट की भूमि लगभग 5 एयर मे पिलर गाड दिए एवं दि० 6.4.16 को जब वादी वापिस आया एवं वादी ने प्रतिवादीगण से पिलर हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी की बची हुई भूमि पर भी कब्जा करने की धमकी दी फलस्वरूप वादी प्रतिवादीगण द्वारा गाडे गए पिलर्स को हटाने हेतु एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु अधिकारी है। – वादी

4. आया वादी ने दावा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। —— प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श–1 प्रस्तुत किए हैं। इनके अलावा नकल रजिस्ट्री दिनांक 9.5.2016 बहक श्रीमति प्रीति मीना, नकल रजिस्ट्री दिनांक 9.5.2016 बहक श्रीमति फूलवती मीना, दो फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी हफीज खां पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सी0पी0सी0 पर दिए गए आदेश दिनांक 4.4.2022 के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि ख0नं0 134 रकबा 5 एयर एवं भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 20 एयर ग्राम मिर्जापुर की मौके पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में नाप करवा कर रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक राजस्व/रीडर/2024/83 दिनांक 3.6.2024 द्वारा इस न्यायालय को भिजवाई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रकरण उमर खां बनाम हफीज वगैरा एवं हफीज बनाम उमर खां वगैरा मुकदमा नम्बर 6/2016 एवं 67/2016 में भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है0 ग्राम मिर्जापुर में पालना हेतु गठित टीम द्वारा सीमाज्ञान की कोशिश की गई लेकिन मुस्तकिल बिन्दु नहीं मिलने व चारो ओर मकानात होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो पाया। अतः दोनों पक्ष ई0टी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान करवाने हेतु सहमत हुए।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त उपरोक्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है0 ग्राम मिर्जापुर के सम्बन्ध में है। वादी हफीज का कहना है कि प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि ख0नं0 1251/134 में 5 एयर भूमि पर पिल्लर गाड दिए हैं जिन्हें हटवाया जावे जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि उन्होने वादी की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 व भूमि ख0नं0 1251/134 ग्राम मिर्जापुर की सीमा को लेकर आपसी विवाद है। इस विवाद के निपटारे के लिए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.4.2022 द्वारा उपरोक्त दोनों नम्बरों की नाप दोनों पक्षों की उपस्थिति में करवाने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिए गए थे परन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मुस्तकिल पोइन्ट नहीं मिलने एवं इन दोनों नम्बरों की भूमि के चारो ओर मकानात होने के कारण नाप ई0टी0एस0 मशीन द्वारा ही करवाया जाना अंकित किया गया है। चूंकि प्रकरण में वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है परन्तु मौके पर भूमि की सीमा तय नहीं होने के कारण भूमि की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाए जाने के पश्चात् ही उपरोक्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। फलस्वरूप प्रकरण में ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 एवं भूमि खसरा नंबर 1251/134 रकबा 0.20 है0 की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाने एवं इस प्रकरण में कार्यवाही वर्तमान स्टेज पर ही ड्रोप किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है0 एवं भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाने हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण नियमानुसार अपने-अपने खर्चे पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की ई0टी0एस0 मशीन से नाप करवाने हेतु कार्यवाही करें। वर्तमान दावा में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

हफीज पुत्र बशीर, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. उमर पुत्र वली मौहम्मद, मुसलमान निवासी राजीव कालोनी गंगापुर सिटी
2. रफीक पुत्र बशीर, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –67 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि ख0नं0 1251 / 134 रकबा 0.20 है0 एवं भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाने हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण नियमानुसार अपने–अपने खर्चे पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की ई0टी0एस0 मशीन से नाप करवाने हेतु कार्यवाही करें। वर्तमान दावा में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2026 को जारी किया गया ।

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते